कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानरे

:–कार्यालय आदेशः–

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/सी–3/भौगकृ/भौतिक/स्थानान्तरण/2019 दिनांकः 29.09.2019 के तहत ममता सक्सेना, व्याख्याता भौतिक, राबाउमावि दादा बाडी जिला कोटा का स्थानान्तरण राउमावि रानायरा डग झालावाड़ किया गया था। ममता सक्सेना द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (जयपुर) में अपील संख्याः 3265/2019 ममता सक्सेना बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3265/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 22.11.2019 द्वारा अपीलार्थी ममता सक्सेना को आदेशित कर रिक्त पद बताते हुए 15 दिवस मे अभ्यावेदन पेश करने एवम पेश किये जाने की स्थिति मे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशो/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी की परेशानियों को दृष्टिगत कर निस्तारित करने और निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देने हेतु निर्देश जारी किये गए।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी ममता सक्सेना द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर 75 वर्षीय सास अल्जाइमर नामक मानसिक बीमारी तथा ससुर जो कि 80 वर्षीय हृद्य रोग से पीड़ित होन एवं बाईपास सर्जरी होने के आधार पर अपना पदस्थापन राबाउमावि सुकेत कोटा, की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभयावेदन का गहनता से परीक्षण व मनन किया गया। अपीलार्थी की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए इनका समायोजन राबाउमावि सुकेत, कोटा में व्याख्याता भौतिक विज्ञान के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। ममता [illegible] को निर्देशित किया जाता है कि ये अपने समायोजित स्थान पर व्याख्याता भौतिक विज्ञान के रिक्त पद पर दिनांकः 06-12-19 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें।

सभी पक्षकार सूचित होवें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/सी–3/भौगक्/अपील सं. 3265/ममता सक्सेना/2019/17 दिनांकः 02/12/2019

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य–विधि) जयपुर।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा को मय आवश्यक संलग्नक आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित संस्था प्रधान
7. संबंधित कार्मिक
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर